बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02 / रेगु0–02–7013 / 2024– 322/ई०का० / पटना, दिनांक– 03. मार्च, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सभी उप निदेशक, ईख विकास,
सभी सहायक निदेशक, ईख विकास,
सभी ईख पदाधिकारी / सभी विशेष ईख पदाधिकारी।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रिकरण योजना अन्तर्गत लाभुकों को भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आलोक में किसानों को CFMS 2.0 के माध्यम से Pay In ID बनाकर भुगतान करने में कठिनाई हो रहा है, जिससे एक तरफ योजना राशि का व्यय नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को उनका देय राशि भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। Pay In ID बनाकर CFMS 2.0 के माध्यम से भुगतान में कठिनाई के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त पत्रांक–2168, दिनांक–27.02.2025 के आलोक में "संबंधित कार्यालय द्वारा Own Office Account में राशि को अंतरित कर लाभुकों (Beneficiaries)को भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। इस हेतु Voucher के रूप में लाभुकों को भुगतान की विवरणी से संबंधित Receipt संलग्न किया जा सकता है।"

अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं गन्ना यंत्रिकरण योजना अंतर्गत लाभुक किसानों को भुगतान ऊपर वर्णित तरीके से यथा समय करने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 322/ई०का० / पटना, दिनांकः– 03. मार्च, 2025
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 3/3/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 322/ई०का० / पटना, दिनांकः– 03. मार्च, 2025
प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर / गोपालगंज / बेतिया (प० चम्पारण) / मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) / मुजफ्फरपुर / सीवान / सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 3/3/2025
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.............2

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 322/ई०आ० / पटना, दिनांकः– 03. मार्च, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें / अध्यासी / महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल / महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/3/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 322/ई०आ० / पटना, दिनांकः– 03. मार्च, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/2025

ईखायुक्त, बिहार।